।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 49/2021(मैन्यूअल) 2021/27 (GCMS)

अपीलांट | **रेस्पोडेंट**

1. श्री भगवानदास उर्फ भगवानाराम पुत्र स्व. श्री पीराराम
2. श्री पदमाराम पुत्र स्व.श्री पीराराम
3. श्री दीनदयाल पुत्र स्व.श्री पीराराम सर्वे जाति माली निवासी ग्राम अमरसागर तहसील व जिला जैसलमेर

बनाम

1. श्री नेनूराम पुत्र श्री कानाराम जाति भील निवासी रूपसी तहसील व जिला जैसलमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर

उपस्थित

1. श्री हेदर अली अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भीखदान चारण, नायब तहसीलदार(पैरोकार राज)

निर्णय

दिनांक 16.07.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा ग्राम लिद्रवा तहसील जैसलमेर के नामान्तकरण संख्या 114 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2019 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता स्व.पीराराम पुत्र श्री कानाराम को सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.08.1965 को ग्राम लिद्रवा की सरहद में समरी खसरा नम्बर 11/02 में रकबा 34–10 बीघा भूमि आवंटन की गयी थी, तब से लेकर अपीलाण्ट के पिता और पिता के स्वर्गवास के बाद अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के द्वारा गलत एवं निराधार दस्तावेजों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के न्यायालय में वाद पत्र पेश कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये। उक्त निर्णय के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय करवाया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के द्वारा उक्त न्यायालय निर्णयों के क्रम में ग्राम लिद्रवा के नामान्तकरण संख्या 114 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा खोला गया है जो बिना किसी उचित आधार , बिना मौका जॉच व रेकर्ड की सही जॉच किये बिना स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्व है। उक्त भूमि अपीलाण्ट के पिता को आवंटित भूमि है परन्तु नियमित बन्दोबस्त के दौरान राजस्व एजेन्सी द्वारा उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गयी है जबकि अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त है। अतः विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 114 दिनांक 30.01.2019 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्षों को सुना गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टीए/6626/2019 जैसलमेर अनवान पीराराम पुत्र कानाराम के वारिसान भगवानदास पुत्र पीराराम बनाम नैनूराम पुत्र कानाराम में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2023 की छाया प्रति प्रस्तुत कर निर्णय की पालना हेतु निवेदन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय प्रति का अपील पत्रावली के साथ अवलोकन एवं अध्यधन किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त निर्णय में विवादग्रस्त भूमि ग्राम लिद्रवा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2015 एवं अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 49/2021(मैन्यूअल) 2021/27 (GCMS)

कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 को खारिज किया गया है। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में आलोच्य नामान्तकरण अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर के अपील प्रकरण संख्या 20/2015 में पारित निर्णय के क्रम में खोला गया है। चूंकि राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में आलोच्य नामान्तकरण स्वतः ही निरस्त है।

अतः उक्त आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य नामान्तकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार जैसलमेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय की अनुपालना में विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में पूर्वानुसार राजकीय सिवायचक दर्ज की जावे। उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वंय वहन करें।

आदेश आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

(प्रताप सिंह)
जिला कलक्टर
जैसलमेर